



ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2016; 2(9): 682-685
www.allresearchjournal.com
Received: 03-07-2016
Accepted: 04-08-2016

Dr. P Chellasamy
Associate Professor
Dept. of Commerce
Bharathiar University
Coimbatore, Tamil Nadu,
India

Sreekrishnan P
M.Phil. Scholar
Dept. of Commerce
Bharathiar University
Coimbatore, Tamil Nadu,
India

महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के मानव अधिकार मूल्यों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

डॉ. प्रदीप सिंह देहल

Abstract

मानव अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है। मानव + अधिकार 1 मानव का जन्म कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, वर्तमान स्थिति में कैसे पहुँचा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर डा. गोकुलेश शर्मा ने अपनी पुस्तक "ह्युमन राइट्स एवं सोशल जस्टिस" में विस्तार से लिखा है।

हेराल्ड जे लास्की ने कहा है कि – "अधिकार सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियाँ हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई भी मानव मुख्यतः स्वयं को उत्तम स्थिति में नहीं पहुँचा सकता"। मानव अधिकारों के इतिहास की जानकारी प्राग्भिक दास विद्रोहों से पता चलता है। बाद में उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद और उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों ने मानव अधिकारों के दृष्टिकोण को मूर्त रूप प्रदान किया है। मानव अधिकार आन्दोलन को प्रभावित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ निम्नलिखित हैं –

1. पुनर्जागरण
2. फ्रांसिसी क्रांति (१७८९)
3. रूस से बोल्शेविक (१९१७)
4. औद्योगिक क्रांति (1930)
5. द्वितीय विश्व युद्ध

श्री निवास शास्त्री का विचार है कि "अधिकार वास्तव में उस व्यवस्था, नियम या रीति को कहते हैं जिसे किसी संस्था का कानून मंजूर करता है। जिससे नागरिक को सबसे अधिक कल्याण में सहायता मिलती है।" प्रस्तुत अध्ययन के लिए श्रीमती अलका रानी तथा रजनी रंजन सिंह द्वारा निर्मित अधिकार मूल्य मापनी एच० आर० बी० को उपकरण के रूप में चयन किया गया है।

सांख्यिकी जटिल तथा अस्पष्ट समग्र को संक्षिप्त एवम बर्गीकृत रूप में व्यक्त करती है। अव्यवहारिक आंकड़ों को सुवोध एवम ग्राह्य बनाने के लिए शोधकर्ता ने प्रस्तुत में निम्नलिखित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया है।

मूलशब्द: मध्यमान, प्रमाणिक विचलन, मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता

प्रस्तावना

पुरुषों महिलाओं और बालकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामाजिक एवं राजनितिक प्रयास किये जाते रहे हैं। सम्राट अशोकन के धर्म के सिद्धान्त में महिलाओं, पुरुषों और बालकों के लिए आचार संहिता का उल्लेख किया गया है। लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए हमुराबी की बेबिलोनियाई कानूनी संहिता (२१३०-२०८८ ई. पू.) ने परस्पर अधिकारों पर आधारित सामाजिक जीवन को नियंत्रित किया था। यद्यपि उस समय की परिस्थितियों को मानव अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए अनुकूल नहीं माना जा सकता था, फिर भी व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने के प्रति ए सार्थक प्रयास थे।

मेगनाकार्टा (१२१५) अधिकार याचिका (१६२८), अमेरिका में अधिकार विधेयक (१७८९) और मानव अधिकारों को फ्रांसिसी घोषणा (१७८९) की स्वीकृति इस दिशा में अन्य कदम थे। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से पीड़ित संसार के समक्ष सबसे अधिक आवश्यक कार्य न केवल शांति स्थापना था अपितु आगामी पीढ़ियों को युद्ध से बचाना था। २४ अक्तूबर १९४५ को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी। इसके अधिकार पत्र में जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है उनमें मानव के मूल अधिकारों व्यक्ति की गरिमा एवं उसके महत्व की पुनरु पुष्टि करने का लक्ष्य मुख्य रूप से विस्तृत घोषणा १० दिसम्बर १९४८ द्वारा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' अथवा 'कानअन्नाओं उम्मत दूउन वाहिदनु' की संकल्पना जहाँ अक ओर मानवीय भ्रातृत्व का अंदेशवाहक है।

Correspondence
Dr. P Chellasamy
Associate Professor
Dept. of Commerce
Bharathiar University
Coimbatore, Tamil Nadu,
India

बिसवीं सदी के उत्तरार्ध एवं इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ होने के समय मानव अधिकार एक ज्वलंत प्रश्न नहीं बल्कि महत्वपूर्ण समस्या बन चुका है। मानव अधिकार के हनन के घटनाएँ विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुकी हैं।

मानव अधिकारों के क्षेत्र में सोच विचार को नवीन आयामों को प्रदान करने के लिए इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती है। यद्यपि एक कटु सत्य है कि आज भी विश्व के अनेक देशों के नागरिकों को पूर्ण मानव अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अनेक देशों में धर्म के नाम पर मानवाधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अनेक देशों में धर्म के नाम पर अधिकारों का हनन हो रहा है। इस परिस्थिति के चलते वर्ष १९४५ में अपनी स्थापना के समय में ही संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों को अभिवृद्धि एवं रक्षार्थ प्रसारित है। इस हेतु संयुक्त राष्ट्र सभा ने १० दिसम्बर १९४८ को अपने घोषणा पत्र में ऐसे अधिकारों का उल्लेख किया है जिन्हें विश्व के समस्त स्त्री पुरुष बिना भेद भाव पाने के अधिकारों में व्यक्ति के जीवन, दैहिक स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं स्वाधीनता, दासता से मुक्ति, निरंकुश गिरफ्तारी एवं नजरबंदी से मुक्ति अपराध प्रमाणित न होने पर निरपराध मने जाने का अधिकार, विवाह करने का और परिवार बसाने का अधिकार, सम्पत्ति रखने का अधिकार, विचार धर्म उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा रखने की स्वतंत्रता मतदान करने और सरकार में शामिल होने की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक जीवन में सहभागी होने के अधिकार इत्यादि शामिल हैं।

मानव मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुण समूह है जिसे अपनने संस्कारों एवं पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर मनुष्य आपने निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन पद्धति का निर्माण कर सकता है। अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, इसमें मनुष्य की धाराएँ, विचार, विश्वास, मनोकृति तथा आस्था आदि शामिल हैं। मानव मूल्य एक ओर व्यक्ति के अन्तःकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं तो दूसरी ओर उनकी संस्कृति एवं परम्परा द्वारा क्रमशः विस्तृत एवं परोपहित होते हैं। बहुजन हित या सर्वजन हित इन मूल्यों की कसौटी कही जाती है। स्वच्छता, त्याग, प्रेम, सत्य, समय पालन, अहिंसा जैसे जीवन के महान मूल्यों का उपयोग आदि मनुष्य केवल आत्मरक्षा तथा आत्मपोषण के लिए करता है तो ए सद्गुण जीवन मूल्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। व्यक्ति के जीवन मूल्यों के प्रमुख स्रोत होते हैं उसके अपने संस्कार एवं अपना वंशानुक्रम मूल्य मानवीय आचरण तथा व्यवहार के मापदंड होते हैं। मूल्यों का आधार मानवीय अनुभव, सामाजिक परम्पराएँ तथा विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं। विविध जीवन मूल्यों के नियम एवं विकास में आध्यात्मवाद, इश्वरवाद तथा परलोक पद आदि धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों का समुचित योगदान रहता है। आदर्शवाद दृष्टि से मूल्य सत्य, असत्य, अच्छे-बुरे, उपयोगी-अनुपयोगी, सुंदर व असुंदर बातों का मूल्यांकन करता है। हमेशा अच्छाई के रूप में ही इसका प्रयोग होता है। सामाजिक जीवन मूल्यों से परिपूर्ण होता है। धर्मशास्त्र नैतिक मूल्यों की संज्ञा देता है। मानव शक्तियों के लिए मूल्य समाज के आदर्श विश्वास सिद्धांत और मापदंड होते हैं। मूल्य किसी जाति, समाज, धर्म, और संस्कृति के परिचारक होते हैं तथा नैतिकता, चरित्र, एवं मूल्य ए तीनों मूल्य से व्यवहार निर्मित होता है। अतः कहा जा सकता है कि मूल्य किसी समाज द्वारा स्वीकृत विश्वास, सिद्धांत, नैतिक नियम तथा व्यवहार मापदंडों को व्यक्तित्व द्वारा दिया गया महत्व ही मूल्य के विषय में दो तथ्य उजागर करता है। एक यह है कि मूल्य एक समूर्त संप्रत्यय है और दूसरा यह है कि वे व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करते हैं। ए समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। किसी समाज के मापदंड उसके विश्वास, आदर्श, सिद्धांत एवं नैतिक नियम होते हैं। व्यक्ति इनमे से कुछ को अधिक महत्व देता है और किसी को उपेक्षाकृत कम वह जिन्हें अधिक महत्व देता है वे उसके लिए

उतने ही शक्तिशाली होते हैं। मूल्य की व्यवस्था व विवेचना विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न प्रकार से दी गयी है।

जान डी. वि. का विचार

“मुख्यतः मूल्य का अर्थ है पुरस्कृत करना, सम्मानित करना प्रशंसा करना, अनुमान लगाना। यह किसी परोचित एवं प्रेम पूर्वक चाहने की क्रिया है। यह तुलनात्मक अध्ययन की निर्णायक क्रिया है।”

आर.ओ. मुखर्जी का विचार

“मनुष्य समाज द्वारा स्वीकृत व प्रेरणा एवं लक्ष्य है जो की अनुकूलन सिखने एवं समाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के भीतर की स्थिति से होकर उसकी प्राथमिकताओं, स्तरों एवं आकांक्षाओं का रूप धारण कर लेता है।”

डी. एच. पारकर का विचार

“मूल्य पूर्णतया मन के साथ सम्बंधित होते हैं। इच्छा की पूर्ती वास्तविक मूल्य है जिससे वह इच्छा पूरी होती है। वह केवल साधन है। मूल्य का सम्बन्ध हमेशा अनुभव से होता है।”

अध्ययन का उद्देश्य

महाविद्यालय विद्यार्थियों के मानव अधिकार मूल्यों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करना।

परिकल्पनाएं

1. बी० एड० स्तर के छात्र छात्राओं के मानव अधिकार मूल्यों के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. एम० सी० ए० स्तर के छात्र छात्राओं के मानव अधिकार मूल्यों के प्रति अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अध्ययन की सीमाएं

प्रस्तुत शोध कार्य का सीमांकन न्यादर्श समय, क्षेत्र आदि को ध्यान में रखकर निम्न प्रकार से किया गया है।

1. प्रस्तुत अध्ययन में केवल उच्च स्तर के विद्यार्थियों को लिया गया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन केवल मोदीनगर और नाँएडा शहर के विद्यार्थियों के न्यायदर्श रूप में लेकर प्रतिपादित किया गया है।
3. प्रस्तुत अध्ययन में १०० विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है जिनमें से ५० छात्र बी० एड० के हैं तथा ५० विद्यार्थी एम० सी० ए० के हैं।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसन्धान में प्रयोग की जाने वाली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के अध्ययन में मुख्य रूप से सम्बंधित प्रत्ययों के मापन के लिए चयन किये गये कारकों के अनुसार एक प्रतिनिधिकारी न्यायदर्श का चयन किया जाता है। उचित सांख्यिकी प्रविधियों के आधार पर प्रदत्तों का विश्लेषण करके उनकी व्याख्या, परिणाम एवम निष्कर्ष निकले जाते हैं।

चरों का अध्ययन

सारिणी 1: इस अध्ययन में तीन चरों की रूपरेखा बनायी गयी है। जो इस प्रकार है।

क्र० सं०	रूपरेखा का नाम	तत्वों का रूप
1	मानवाधिकार मूल्य (आश्रित चर)	नागरिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य
2	जनांककीय चर (स्वतंत्र चर)	आयु, लिंग
3	शैक्षिक चर	वर्ग

जनसँख्या एवम न्यायदर्श का चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध समस्या को दृष्टीगत रखते हुए अध्ययन को शुद्ध सरल एवम मितव्ययी बनाने के लिए शोधकर्ता ने यादृच्छिक न्यायदर्श का प्रयोग किया गया है। शोधकर्ता का मुख्या उद्देश्य छात्र एवम छात्राओं के मानवाधिकार मूल्यों का अध्ययन करना है। अतः शोधकर्ता ने मोदीनगर एवम नॉएडा के दो उच्च स्तर बी० एड० तथा एम० सी० ए० के 900 विद्यार्थियों को अपने न्यायदर्श में सम्मिलित किया गया है जिनको निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी 2

क्र० सं०	कालेज का नाम	संख्या
1	एस० आर० एम० कालेज (मोदीनगर)	50
2	जे० एस० एस० कालेज नॉएडा	50

शोध उपकरण का चयन

प्रस्तुत अध्ययन के लिए श्रीमती अलका रानी तथा रजनी रंजन सिंह द्वारा निर्मित अधिकार मूल्य मापनी एच० आर० बी० को उपकरण के रूप में चयन किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकी मापन

सांख्यिकी जटिल तथा अस्पष्ट समग्र को संक्षिप्त एवम बर्णिकृत रूप में व्यक्त करती है। अव्यवहारिक आंकड़ों को सुवोध एवम ग्राह्य बनाने के लिए शोधकर्ता ने प्रस्तुत में निम्नलिखित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया है।

मध्यमान

प्रमाणिक विचलन

मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता

प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण एवम व्याख्या

सारणी 3: बी. एड. के छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार मूल्य प्राप्तांकों की तुलना

समूह	संख्या	मध्यमान	मध्यांक	बहुलांक	प्रमाणित विचलन	क्रांतिक	सार्थकता
छात्र	50	52.3	51.5	49	10.3	1.2	
छात्राओं	50	49.5	52	54	5.6		

सारणी 1.2 पर दृष्टिकोण करने से ज्ञात होता है कि उच्च स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार मूल्य प्राप्तांक क्रमशः मध्यमान 52.3 एवं 49.5 तथा मध्यांक 51.5 एवं 52 तथा बहुलांक 49 एवं 54 तथा मानक विचलन 10.3 एवं 5.6 तथा क्रांतिक अनुपात का मान 1.2 है जो कि सारणी स्तर पर 0.5 की क्रांतिक अनुपात 1.96 है इसी के आधार पर सारिणी 4.1 का क्रांतिक अनुपात 1.2 है जो कि 1.96 से कम है अतः हमारी परिकल्पना है कि "बी. एड. स्तर के छात्र एवं छात्राओं के मानवाधिकार मूल्यों के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।" स्वीकृति की जाती है। इसी के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दोनों समूहों के विद्यार्थियों में पाए गए मानव अधिकार मूल्य सामान है। दोनों ही समूहों के विद्यार्थियों में मानव अधिकार

मूल्यों के प्रति सामान जागरूकता पाई गई है। इस प्रकार शोधकर्ता ने उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराते हुए एम. सी. ए. के छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार मूल्यों प्राप्तांकों की तुलना करने के लिए मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, प्रमाणित विचलन, क्रांतिक अनुपात का मान ज्ञात किया जाए जो सारिणी 1.3 में प्रस्तुत की गई है।

सारिणी 4: एम० सी० ए० के छात्र एवम छात्राओं के मानव अधिकार मूल्य प्राप्तांकों की तुलना

समूह	संख्या	मध्यमान	मध्यांक	बहुलांक	प्रमाणित विचलन	क्रांतिक	सार्थकता
छात्र	50	43.6	46.5	48	10.10	0.4	
छात्राओं	50	41.9	39	38	14.9		

सारिणी 1.3 पर दृष्टिकोण करने से ज्ञात होता है कि उच्च स्तर पर छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार मूल्यों प्राप्तांक क्रमशः मध्यमान 43.6 एवं 41.9 तथा मध्यांक 46.5 एवं 39 तथा बहुलांक 48 एवं 38 तथा प्रमाणित विचलन 10.10 एवं 14.9 तथा क्रांतिक अनुपात का मान 0.4 है जो कि सारिणी 4.2 पर 0.5 की क्रांतिक अनुपात 1.96 है। इसी के आधार पर सारिणी 4.2 का क्रांतिक अनुपात 0.4 है जो कि 1.96 से कम है। अतः हमारी परिकल्पना है कि "एम. सी. ए. के छात्र एवं छात्राओं के मानव अधिकार मूल्यों के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।" स्वीकृति की जाती है। इसके अधर पर स्पष्ट रूप पर कहा जा सकता है कि दोनों समूहों के विद्यार्थियों में पाए गए मानव अधिकार मूल्य समान हैं। दोनों ही समूहों के विद्यार्थियों में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता पाई गई है।

अध्ययन का निष्कर्ष:

प्रस्तुत अध्ययन के कुल प्राप्तांकों पर दृष्टीपात करने से यह तथ्य सामने आता है कि उच्च स्तर पर सारिणी 1.2 बी० एड० के छात्र एवम छात्राओं के मानवाधिकार मूल्यों के मध्यमान में छात्रों की संख्या अधिक है। छात्र एवम छात्राओं में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है। बी० एड० स्तर में छात्रों में मानवाधिकार मूल्यों की पूर्ण जानकारी पाई गयी है।

प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पना 1.3 सारणी के अनुसार एम० सी० ए० स्तर के छात्र एवम छात्राओं के मानव अधिकार मूल्यों के अन्तर्गत सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक मूल्यों की जानकारी है दोनों में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

मानवाधिकार मूल्यों के अध्ययन के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की मानवाधिकार मूल्यों के बारे में जानकारी अधिक है तथा 6 मौलिक अधिकार के साथ राजनैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, आदि प्रश्न प्रश्नावली में थे जिनमें कि पुरुषों को अधिकार तथा मूल्य की जागरूकता महिलाओं की अपेक्षा अधिक पाई गयी है साथ ही साथ जो तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थी हैं जैसे एम० सी० ए० के विद्यार्थियों में इन अधिकारों की कम जानकारी है अपेक्षाकृत बी० एड० के विद्यार्थी जो कि एक भावी अध्यापक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनमें जानकारी अधिक है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. Dewey, John Theory of Valuation, Chicago: The University of Chicago Press, 1939.
2. Ohipen, M.M. Group Counseling. 2nd EDI U.S.A Holt, Rin Chart R. Winston. 1977.
3. The international conference of environmental education: Living in the environmental (ED.) Sytnik KM. 1985.
4. Kaul JL. Human Right-Issues and perspectives (Ed.) New Delhi: Regency Publication, 1995.